न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 38/2020(2020/00199)

अनवान : —

1. बृजलाल पुत्र मुखराम जाति बाजीगर निवासी गढ़डा तहसील भादरा।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री सुरेन्द्र बैनीवाल —प्रार्थी
राजपैरोकार —राज0 सरकार

निर्णय   दिनांक : 05/02/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा गढडा के खाता सं0 79/81 के खसरा संख्या 327 की 9.801 हैक्टेयर खसरा सं0 448 की 0.822 हैक्टेयर, कुल किता 2 की 10.623 हैक्टेयर बारानी मुश्तर्का खाता में प्रार्थी की 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम बृजलाल के स्थान पर बिदाराम दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बृजलाल की बजाऐ बिदाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता मुखराम के बिदाराम नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम बृजलाल पुत्र मुखराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गढ़डा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में बृजलाल की बजाऐ बिदाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम बिदाराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम बृजलाल दर्ज करा पाने का [illegible] कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:42 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बृजलाल पुत्र मुखराम के स्थान पर बिदाराम पुत्र मुखराम दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम बृजलाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के ग्राम गढ़ड़ा में खाता सं0 79/81 में प्रार्थी का नाम बृजलाल पुत्र मुखराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट पेश हुई जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा ग्राम गढडा के खाता सं0 79/81 में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम बृजलाल पुत्र मुखराम के स्थान पर बिदाराम पुत्र मुखराम दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड व बैंक पासबुक पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम बृजलाल पुत्र मुखराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम गढडा के खाता सं0 79/81 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम **''बिदाराम पुत्र मुखराम के स्थान पर बृजलाल पुत्र मुखराम''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच बिदाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए बिदाराम ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:42 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ